संख्या-606/2025/3535/22-2-2023-17(1106)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 जून, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालाराम पुत्र श्री फकीरे लाल, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-27511/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-04.08.2023, दिनांक 04.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालाराम पुत्र श्री फकीरे लाल, जो चित्रकूट, थाना-राजेपुर, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। बन्दी द्वारा मकान से निकालने की रंजिश को लेकर दिनांक 12.03.1993 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा, बन्दूक व लाठी से मारकर श्रीराम नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-855/1994 में भा०द०वि० की धारा-302/149 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, ई०सी० एक्ट, शाहजहांपुर के दण्डादेश दिनांक 28.02.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 22.03.2023 तक अपरिहार 12 वर्ष, 08 माह, 22 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 09 माह, 00 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- सिद्धदोष बन्दी लालाराम पुत्र श्री फकीरे लाल की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की 66 वर्ष की आयु, बन्दी द्वारा अपरिहार 12 वर्ष, 08 माह, 22 दिन की भोगी गयी सजा तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालाराम (बन्दी संख्या-46927) पुत्र श्री फकीरे लाल, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-606/2025/3535(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।